



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935

No. 2201]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2013

का.आ. 2825(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 467 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर में पैरा 2 और टिप्पणियों के पैरा 1, 2 और 4 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

पैरा – 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स आई वी आर सी एल चेंगापल्ली टोलवेज लिमिटेड, जो 26-11-2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम 22/3 आर टी, विजयनगर कालोनी हैदराबाद-500057, आन्ध्रप्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ चेंगापल्ली में 100.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 102.035 कि.मी.) से कोयम्बतूर बाइपास के प्रारम्भ पर 141.660 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 144.680 कि.मी.) तक, और कोयम्बतूर बाइपास की समाप्ति पर 167.830 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 170.880 कि.मी.) से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के कोयम्बतूर बाइपास के वलयार छोर पर 182.250 (डिजाइन चैनेज 183.010 कि.मी.) तक के खण्ड के छः लेन तथा चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग के विकास (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) उक्त खण्डों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है)।

टिप्पणी – 1 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 136.840 (विद्यमान चैनेज कि.मी. 134.100) कोयम्बतूर जिले में कानियूर गांव के निकट	30.160

टिप्पणी – 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना (संरचनाओं)/बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा ;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा	
कि.मी./चैनेज 136.840 (विद्यमान चैनेज कि.मी. 134.100) कोयम्बतूर जिले में कानियूर गांव के निकट	लम्बाई	लागत
	पेरुमनल्लूर बाइपास – 4.70 कि.मी. लम्बाई	50.41 करोड़ रुपये
	अविनाशि बाइपास – 7.85 कि.मी. लम्बाई	102.66 करोड़ रुपये

टिप्पणी – 4 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है ;

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात् ;

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो – तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

[फा. सं. भाराप्रा/13013/635/11-12/सीओ/जीसी-कोयम्बतूर (102.035-144.68 और 170.88-183.01) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

संदर्भ : अधिसूचना संख्या का.आ. 467 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2013

S.O. 2825(E).—In exercise of the power conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 467 (E), dated the 26th February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the English version of the said notification for paragraph 2 and paragraph 1, 2 & 4 of Notes, the following paragraphs shall be substituted namely:-

For paragraph – 2 following is substituted ;

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s. IVRCL Chengapalli Tollways Limited, having its registered office at M22/3RT, Vijayanagar Colony, Hyderabad – 500057, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 26.11.2009 for the development of Chengapalli to Start of Coimbatore Bypass from Km. 100.000 at Chengapalli (Design Chainage Km. 102.035) to Km 141.660 at Coimbatore Bypass start (Design Chainage Km. 144.680) and from Km. 167.830 (Design Chainage 170.880) at Coimbatore Bypass end, to Km. 182.250 (Design Chainage 183.010) at Walayar End of Coimbatore Bypass on National Highway No. 47 (hereinafter referred to as the “said section”) to six lane and four lane divided carriageway respectively and operation and maintenance of the said sections.

For Note – 1 following is substituted ;

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km./Ch. 136.840 (Existing Chainage Km. 134.100) near Kaniyur village in Coimbatore district	30.160

For Note – 2 following is substituted ;

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s)/Bypass(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Bypass Length (in km.) and Cost of Bypass (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
Km./Ch. 136.840 (Existing Chainage Km. 134.100) near Kaniyur village in Coimbatore district	Length	Cost
	Perumanallur Bypass – 4.70 Km. length	Rs. 50.41 Crore
	Avinashi Bypass – 7.85 Km. length	Rs. 102.66 Crore

For Note – 4 following is substituted;

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

[F. No NHAI/13013/635/11-12/CO/GC-Coimbatore (102.035-144.68 & 170.88-183.01) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Reference : Notification No S.O. 467 (E) dated 26th February, 2013.